न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 23/2016 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00033

उनवान

बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मुन्नी वेवा हाकिम सिंह
2. रामपाल
3. श्यामपाल सिंह
4. प्रेमपाल सिंह
5. विजयपाल सिंह
6. गंगा सिंह

पिसरान हाकिम सिंह जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

7. गुड्डी पुत्री हाकिम पत्नी शैलेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी पुराना बिजलीघर भरतपुर।

.....असल रेस्पोंडेंट ।

8. महेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 04.05.2016 प्र.सं 159/09 उनवानी बृजेन्द्र सिंह बनाम हाकिम सिंह।

अपील संख्या :– 17/2016
आरसीएमएस संख्या :–2016/00035

सत्यमेव जयते

उनवान

बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मुन्नी वेवा हाकिम सिंह
2. रामपाल
3. श्यामपाल सिंह

पुत्र हाकिम सिंह जाति ठाकुर नि0 दौरदा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

Web Copy - Not Official

4. प्रेमपाल सिंह
5. विजयपाल सिंह } पुत्र हाकिम सिंह जाति ठाकुर नि0 दौरदा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
6. गंगा सिंह
7. गुड्डी पुत्री हाकिम सिंह पत्नि शैलेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवसी पुराना बिजलीघर भरतपुर जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोंडेंट ।

8. महेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
9. पीएनबी बैंक शाखा खानुआ तामील जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
10. एसबीबीजे बैंक शाखा रूपवास तामील जरिये शाखा प्रबन्धक तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट ।

अपील संख्या :– 52/2016
आरसीएमएस संख्या :–2016/00034

उनवान

महेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मुन्नी वेवा हाकिम सिंह
2. रामपाल
3. श्यामपाल सिंह } पुत्र हाकिम सिंह जाति ठाकुर नि0 दौरदा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
4. प्रेमपाल सिंह
5. विजयपाल सिंह
6. गंगा सिंह
7. गुड्डी पुत्री हाकिम सिंह पत्नि शैलेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवसी पुराना बिजलीघर भरतपुर जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोंडेंट ।

8. बृजेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
9. पीएनबी बैंक शाखा खानुआ तामील जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
10. एसबीबीजे बैंक शाखा रूपवास तामील जरिये शाखा प्रबन्धक तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 04.05.2016 प्र.सं 108/05 उनवानी हाकिम बनाम महेन्द्र सिंह।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुभाष चन्द शर्मा उपस्थित

निर्णय दिनांक–09.05.2019

1. यह तीनों अपीले अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। तीनों अपीलो में समान पक्षकार, समान विवादित आराजी एवं समान विषयवस्तु होने के कारण तीनों अपीलो को एक साथ निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति, तीनों अपीलो में शामिल पत्रावली की जावें।

2. अपील संख्या 23/2016 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम दौरदा तहसील रूपवास में वादी/अपीलाण्ट बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। उक्त आराजी से प्रतिवादी/रैस्पो0 का कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। परन्तु प्रतिवादी/रैस्पो0 उक्त विवादित आराजी में जबरन दखलअंदाजी करते हैं एवं वादी/अपीलाण्ट को विवादित आराजी पर काश्त नहीं करने देते हैं तथा जबरन लट्ठ के बल पर विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी/रैस्पो0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3. अपील संख्या 17/2016 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम दौरदा तहसील रूपवास में वादी/रैस्पो0 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट संवत 2012 के पूर्व से ही काश्त करते चले आ रहे हैं। संवत 2010–13 की जमाबन्दी में वादी/रैस्पो0 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट गैर मौरूसी दर्ज हैं। इससे वादी/रैस्पो0 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट कानूनन खातेदार हो गये। परन्तु राजस्व अभिलेख में, राजस्व कर्मचारियों की भूल से खातेदारी के इन्द्राज करते समय केवल प्रतिवादी/अपीलाण्ट संख्या 01 व तरतीवी रैस्पो0 संख्या 01 का नाम दर्ज कर दिया एवं वादी/रैस्पो0 का नाम छोड दिया है। जबकि तीनो का समान दर्ज होना चाहिये था। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रतिवादी/अपीलाण्ट के मन में बदयान्ती आ गयी है एवं वह वादी/रैस्पो0 की खातेदारी से साफ इंकारी हो गये हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

4. अपील संख्या 52/2016 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम दौरदा तहसील रूपवास में वादी/रैस्पो0 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट संवत 2012 के पूर्व से ही काश्त करते चले आ रहे हैं। संवत 2010–13 की जमाबन्दी में वादी/रैस्पो0 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट गैर मौरूसी दर्ज हैं। इससे वादी/रैस्पो0 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट कानूनन खातेदार हो गये। परन्तु राजस्व अभिलेख में, राजस्व कर्मचारियों की भूल से खातेदारी के इन्द्राज करते समय केवल प्रतिवादी/अपीलाण्ट संख्या 01 व तरतीवी रैस्पो0 संख्या 01 का नाम दर्ज कर दिया एवं वादी/रैस्पो0 का नाम छोड दिया है। जबकि तीनो का समान दर्ज होना चाहिये था। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रतिवादी/अपीलाण्ट के मन में बदयान्ती आ गयी है एवं वह वादी/रैस्पो0 की खातेदारी से साफ इंकारी हो गये हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

5. तीनों अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट बृजेन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह वहिस्सा बराबर के सहखातेदार काश्तकार हैं व अपने–अपने हिस्से पर मनवट के आधार पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कभी कोई संबंध सारोकार नहीं रहा है। राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज अपीलाण्ट बृजेन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह की खातेदारी के अंकित हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में उभयपक्ष की साक्ष्य हुई है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकियात कायम नहीं की गयी है। इसके अलावा विवादित आराजी की बाबत् एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का रैस्पो0 के पति व पिता हाकिम सिंह द्वारा विरूद्ध अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्त दावे में तनकीयात भी कायम की गई थी उक्त दावे को घोषणात्मक दावे के साथ कन्सोलीडेट भी नहीं किया व बिना तनकीवार निर्णय पारित कर दावा डिक्री कर दिया। उक्त दावे में उक्त मौजूदा दावा अपीलाण्ट के बारे में कोई डिसकस ना कर दावा अपीलाण्ट खारिज कर दिया जो अहम कानूनी गलती है। अधीनस्थ न्यायालय ने सवंत 2009 लगायत 2012 की खसरा गिरदावरी को बारीकी से नहीं देखा उक्त खसरा गिरदावरी में किसी भी संवत में हाकिम

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official

सिंह का नाम काश्त में दर्ज नहीं है, लेकिन जमाबन्दी संवत 2010 लगायत 2013 में अचानक हाकिम सिंह का नाम किस आदेश एवं किस प्रकार आ गया, सन्देहपूर्ण हैं क्योंकि जमाबन्दी संवत 2011 में जिस व्यक्ति के नाम गैर मौरूसी के इन्द्राज होंगें उसी के नाम खातेदारी के इन्द्राज होगें। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा भी अपीलाण्ट के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध है क्योंकि उक्त राजीनामा अपीलाण्ट ने प्रस्तुत नहीं किया है। बल्कि रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के फर्जी हस्ताक्षर करते हुये एवं अपीलाण्ट का फोटो लगाकर गलत आधारो पर पेश किया गया है, जो कि पूर्णतः विधिवत नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2011 पेज 654, 2008 पेज 668, 2005 पेज 19, 2003 पेज 201, 2004 पेज 261, 2017 पेज 309, 2011 पेज 387, 2002 पेज 2002, आरआरडी 1972 पेज 202, 1978 पेज 11, 1976 पेज 436 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट द्वारा मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गयी है जबकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं एवं मियाद बाहर अपील पेश करने का कोई उचित कारण भी प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य रहती है। विवादित आराजीयात वाके ग्राम दौरदा तहसील रूपवास में स्थित है एवं विवादित आराजीयात पर अपीलाण्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काश्त करता चला आ रहा है। जमाबन्दी संवत 2010–13 में अपीलाण्ट व रैस्पो0 विवादित आराजी पर 1/3–1/3 हिस्से के गैर मौरूसी दर्ज है। संवत 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, जो उस समय काश्त कर रहे थे वह स्वतः ही वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार हो गये। परन्तु संवत 2014–17 की जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों ने अपीलाण्ट को 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया तथा रैस्पो0 का नाम छोड दिया जबकि रैस्पो0 का भी 1/3 हिस्सा दर्ज करना चाहिये था। मौके पर विवादित आराजी में मनवट से तीन हिस्से बनाये हुये हैं, जो मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से साबित होते हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट महेन्द्र सिंह जो कि रैस्पो0 का सभा भाई है; द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा भी पेश किया गया है उक्त राजीनामा में अपीलाण्ट महेन्द्र सिंह ने रैस्पो0 का 1/3 हिस्सा माना है। उक्त राजीनामा के रहते अपीलाण्ट महेन्द्र सिंह को अपील करने का कोई आधार नहीं बनता है परन्तु अपीलाण्ट महेन्द्र सिंह ने अपीलाण्ट बृजेन्द्र सिंह के बहकावे में आकर, अपील पेश की गयी है। अध्णीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप करने योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डी0एन0जे0 2013 पेज 79, आरआरटी 2013 पेज 123, 2013 पेज 133, 2013 पेज 415, 2011–12(सप्ली.) पेज 217 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज करने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2010–2013 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादी/रैस्पो0 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट विवादित आराजी में 1/3–1/3 हिस्से के गैर मौरूसी दर्ज रहे हैं एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौका कमिश्नर रिपोर्ट तहसीलदार से भी मौके पर विवादित आराजी के तीन हिस्से बने होना प्रमाणित है। इसके अलावा प्रतिवादी महेन्द्र सिंह जो कि वादी व प्रतिवादी का सगा भाई है; द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.01.2012 को राजीनामा पेश कर विवादित आराजी में वादी/रैस्पो0 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट का वहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा व मौके पर तीन हिस्से बने हुये स्वीकार किया है। यहॉ प्रकरण में राजीनामा एवं संवत 2012, वर्ष 1955 की जमाबन्दी वादी/रैस्पो0 के वाद को साबित करने के लिये महत्वपूर्ण है। संवत 2012 में जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, तब उस समय जो काश्त कर रहा था वह स्वतः ही वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार हो गया। वादी/रैस्पो0 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट सगे भाई हैं। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट की आपत्ति है कि विवादित आराजी पर रैस्पो0 का विगत कई वर्षो से कब्जा काश्त नहीं है। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा, मौका पर्चा तहसीलदार एवं राजस्व अभिलेख से विवादित भूमि पर मौके पर तीन हिस्से बना होना व वादी/रैस्पो0 का कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता है। जिससे वादी/रैस्पो0 का वाद और पुष्ट हो जाता है। वैसे भी सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का इंच इंच भूमि पर कब्जा माने जाने की मान्यता है एवं सहखातेदारी की भूमि पर यदि एक सहखातेदार का कब्जा हो तो भी सहखातेदारी की भूमि में एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू नहीं होता है।

9. जहॉ तक अपीलाण्ट महेन्द्र सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा का प्रश्न है। उक्त राजीनामा दिनांक 16.01.2012 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जाकर पक्षकारान एवं उनके अभिभाषकगण की उपस्थिति के हस्ताक्षर कराये गये हैं। अपीलाण्ट कथित राजीनामा को फर्जी व कूटरचित होना बताते हैं। परन्तु उनके द्वारा अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कथित राजीनामा का खण्डन होता हो। अपीलाण्ट महेन्द्र सिंह को यदि कोई अनुतोष चाहिये तो उसी न्यायालय, जहॉ राजीनामा प्रस्तुत हुआ है, के निर्णय के विरूद्ध उपचार खोजना चाहिए।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार हम निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, मौका रिपोर्ट एवं राजीनामा की विस्तार से विवेचना की जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसे हम किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा तीनों अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

11. अतः आदेश है कि तीनों अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2016 यथावत रखें जाते हैं। तीनों पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official